फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

प्रार्थी–सरकार जरिये तहसीलदार अप्रार्थी– सुवा व अन्य

केस संख्या : 08/2017

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 एल.आर.एक्ट बाबत नक्शा व रिकॉर्ड दुरूस्ती बाबत

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		:–निर्णय–: आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई। पैरोकार राज. उप0। अप्रार्थी अनु0। बहस सुनी गई। पैरोकार राज0 ने निवेदन किया कि ग्राम सीतारामपुरा के आ.ख.नं. 1775 गै.मु. श्मशान में आने जाने हेतु कच्चा रास्ता खातेदारी में से है जो वर्तमान में चालू है। कच्चा रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 व 3 लगायत 10 की खातेदारी भूमि में से वर्तमान में चालू है। प्रतिवादी संख्या 1 ल. 2 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1773 रकबा 0.07 में से 0.04 बिस्वा व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 के खसरा नंबर 1604 रकबा 2.14 में से 0.03 बिस्वा भूमि से मौके पर कच्चा रास्ता खसरा नंबर 1775 श्मशान में वर्तमान में जा रहा है। मौके पर कच्चा रास्ता चालू है तथा आमजन समस्या के निराकरण हेतु उक्त कच्चा रास्ता का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद आवश्यक है। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 ल. 2 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1773 रकबा 0.07 में से 0.04 बिस्वा व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 के खसरा नंबर 1604 रकबा 2.14 में से 0.03 बिस्वा भूमि से मौके पर कच्चा रास्ता खसरा नंबर 1775 श्मशान में जाने के लिये बना हुआ है जो आमजन के आवागमन के लिए उपयोग में आ रहा है। न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा में दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर ग्राम सीतारामपुरा, तहसील फागी जिला जयपुर के खसरा नंबर 1773 रकबा 0.07 में से 0.04 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1604 रकबा 2.14 में से 0.03 बिस्वा भूमि मुताबिक नजरी नक्शा की किस्म गैर मु. रास्ता दर्ज की जाती है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर नक्शा में तरमीम करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 26/05/2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पहाडिया में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर) (सावन कुमार चायल) उपखण्ड अधिकारी फागी	